तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.08.2022	पत्रावली पेशी में ली गई। वकुलाए परीकैन हाजिर। दिनांक 17.08.2022 को बहस उभय पक्ष सुनी गई थी। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र के दफा 3 में वर्णित चक 21 एमओडी के खाता संख्या 57/49 के प0न0 8/265(11) कि0न0 1, 2 की कुल 0.506 है0, प0न0 6/268(34) कि0न0 1 ता 5 की कुल 1.265 है0 कुल 1.771 है0 नहरी अनकमाण्ड मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी में 1/2 हिस्सा में से 1/4 हिस्सा, खाता संख्या 58/45 के प0न0 7/268(35) कि0न0 1/2, 2 ता 15 की 3.770 है0 नहरी अनकमाण्ड मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी में 1/3 हिस्सा में से 1/4 हिस्सा, खाता संख्या 59/41 के प0न0 6/267(31) कि0न0 1, 6, 7, 10/1, 11 ता 25 की कुल 4.680 है0 नहरी अनकमाण्ड मय गैर मुमकिन खाला रास्ता खातेदारी में 1/4 हिस्सा में 1/4 हिस्सा, खाता सं. 60/42 के प0न0 6/267(31) कि0न0 8, 9, 10/2 की कुल 0.633 है0, प0न0 6/268(34) कि0न0 8 ता 13, 18 ता 23 की 3.036 है0, प0न0 6/269(49) कि0न0 3 की 0.126 है0 कुल 3.795 है0 नहरी अनकमाण्ड मय गै0मु0 खाला खातेदारी में 25 हिस्सा में 1/4 हिस्सा, खाता सं. 61/52 के प0न0 8/265(11) कि0न0 24, 25 की 0.506 है0, प0न0 6/268(34) कि0न0 16, 17, 24, 25 की 1.012 है0, प0न0 7/268(35) कि0न0 20, 21 की 0.506 है0, प0न0 13/269(42) कि न0 4 ता 6, 7/2 की 0.923 है0, प0न0 6/269(49) कि0न0 4, 5 की 0.127 है0, प0न0 12/270(57) कि0न0 25/1 की 0.152 है0, प0न0 13/270(58) कि0न0 18/1, 19, 20 की 0.633 है0 कुल 3.859 है0 नहरी मय गै0मु0 खाला खातेदारी में 0.552 है0 नहरी मय गै0मु0 खाला खातेदारी भूमि जो अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है, प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि है तथा दफा 4 में वर्णित चक 21 एमओडी के खाता संख्या 8/7 के प0न0 7/267(30) कि0न0 24, 25 की 0.506 है0, प0न0 6/268(34) कि0न0 6, 7, 14, 15 की 1.012 है0 कुल 1.518 है0 नहरी मय गै0मु0 खाला खातेदारी व खाता संख्या 3/3 के प0न0 9/265(10) कि0न0 7 ता 10 की 1.012 है0 नहरी खातेदारी व खाता संख्या 4/28, 92 के प0न0 9/265(10) कि0न0 6/2 की कुल 0.215 है0, प0न0 8/265(11) कि0न0 21, 22 की 0.506 है0 कुल तादादी 0.721 है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि उक्त पैतृक कृषि भुमि की आय व संयुक्त परिवार की आय से प्राप्त हुई है जो राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है। 25.08.2022 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा	

प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 को प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 के दादा रामरिख उर्फ रामरख पुत्र इमरताराम से विरासत में प्राप्त कृषि भूमि है व दफा 4 में वर्णित कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 को अप्रार्थी संख्या 1 की चाची चुन्नी पत्नि नारायण जो कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के संयुक्त परिवार की सदस्या थी एवं उनके स्वयं के कोई पुत्र नहीं था, ने परिवार की सेवा के कारण गिफ्ट की थी। इस प्रकार प्रार्थना पत्र की दफा 3 व 4 में वर्णित समस्त कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 का जन्म से हक व हिस्सा निहित है। उक्त भूमि में से घरू बंटवारा के तौर पर जो कृषि भूमि प्रार्थी को दी गई थी उसमें से प. न. 7/267(30) किला न. 24, 25 में प्रार्थी का अनार का बाग लगा हुआ है तथा सोलर कनेक्शन है। प.न. 9/265(10) किला न. 7 में प्रार्थी की ढ़ाणी बनी हुई है। प्रार्थी का इस भूमि पर कब्जा है। कब्जा के आधार पर विभिन्न उच्चतर न्यायालयों द्वारा निषेधाज्ञा जारी किये जाने के आदेश दिए गए हैं। इस हेतु आरआरटी 2019 पेज 27। गुरलाल सिंह बनाम इकबाल सिंह व आरआरटी 2018-19(Sup) पेज 53। अचलाराम बनाम भैराराम नजीरें पेश की गई तथा निवेदन किया कि न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 27.02.2020 को ताफैसला वाद कन्फर्म किया जाए। वकील अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने बहस में अपने जबाव प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपनी स्वअर्जित भूमि अपने दो पुत्रों को प्रार्थना पत्र पेश होने के कुछ समय पूर्व गिफ्ट की थी इस कारण प्रार्थी ने पैतृक कृषि भूमि को ढाल बनाकर स्वअर्जित भूमि सहित समस्त भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाई है। प.न. 9/265 किला न. 7 ता 10 की भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की स्वअर्जित भूमि है तथा उक्त भूमि हरीराम पुत्र हरभजराम जाति बिश्नोई से खरीद की गई है एवं दफा 4 में वर्णित शेष भूमि अप्रार्थी संख्या 1 को उसकी चाची चुन्नी पत्नि नारायण से जरिए गिफ्ट प्राप्त हुई है। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से कथन के समर्थन में उक्त भूमियों के नामान्तकरण दर्ज करवाने हेतु दिये गये प्रार्थना पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपियां पेश की गई जो शामिल मिसल है। प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा दस्जावेजी साक्ष्यों से सिद्ध नहीं है। अतः वादग्रस्त भूमि में से अप्रार्थी संख्या 1 की स्वअर्जित भूमि जो कि प्रार्थना पत्र के दफा 4 में वर्णित है, की हद तक अस्थाई निषेधाज्ञा हटाई जावे। अपने कथनों को सिद्ध करने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की ओर से आरआरडी 2016 पेज 797, आरआरटी 2015(2) पेज 976 व आरआरटी 2017(1) पेज 360 नजीरें पेश की गई।

हमनें बहस पर मनन किया। प्रस्तुत साक्ष्यों व नजीरों का ससम्मान अध्ययन किया। प्रार्थना पत्र की दफा 03 में वर्णित कृषि भूमि चक 2। एमओडी के खाता संख्या 57/49 के प0न0 8/265(11) कि0न0 1, 2 की कुल 0.506 है0, प0न0 6/268(34)

25/08/2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

कि0न0 1 ता 5 की कुल 1.265 है0 कुल तादादी 1.771 है0 नहरी अनकमाण्ड मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी में 1/2 हिस्सा में से 1/4 हिस्सा, खाता संख्या 58/45 के प0न0 7/268(35) कि0न0 1/2, 2 ता 15 की 3.770 है0 नहरी अनकमाण्ड मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी में 1/3 हिस्सा में से 1/4 हिस्सा, खाता संख्या 59/41 के प0न0 6/267(31) कि0न0 1, 6, 7, 10/1, 11 ता 25 की कुल 4.680 है0 नहरी अनकमाण्ड मय गैर मुमकिन खाला रास्ता खातेदारी में 1/4 हिस्सा में 1/4 हिस्सा, खाता सं. 60/42 के प0न0 6/267(31) कि0न0 8, 9, 10/2 की कुल 0.633 है0, प0न0 6/268(34) कि0न0 8 ता 13, 18 ता 23 की 3.036 है0, प0न0 6/269(49) कि0न0 3 की 0.126 है0 कुल 3.795 है0 नहरी अनकमाण्ड मय गैरमुमकिन खाला खातेदारी में 25 हिस्सा में 1/4 हिस्सा, खाता सं. 61/52 के प0न0 8/265(11) कि0न0 24, 25 की 0.506 है0, प0न0 6/268(34) कि0न0 16, 17, 24, 25 की 1.012 है0, प0न0 7/268(35) कि0न0 20, 21 की 0.506 है0, प0न0 13/269(42) कि न0 4 ता 6, 7/2 की 0.923 है0, प0न0 6/269(49) कि0न0 4, 5 की 0.127 है0, प0न0 12/270(57) कि0न0 25/1 की 0.152 है0, प0न0 13/270(58) कि0न0 18/1, 19, 20 की 0.633 है0 कुल 3.859 है0 नहरी मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी में 0.552 है0 नहरी मय गैरमुमकिन खाला खातेदारी भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की पैतृक कृषि है जिसमें हक-हिस्से बाबत् प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र की दफा 04 में वर्णित कृषि भुमि चक 21 एमओडी के खाता संख्या 8/7 के प0न0 7/267(30) कि0न0 24, 25 की 0.506 है0, प0न0 6/268(34) कि0न0 6, 7, 14, 15 की 1.012 है0 कुल 1.518 है0 नहरी मय गैरमुमकिन खाला खातेदारी व खाता संख्या 3/3 के प0न0 9/265(10) कि0न0 7 ता 10 की 1.012 है0 नहरी खातेदारी व खाता संख्या 4/28, 92 के प0न0 9/265(10) कि0न0 6/2 की कुल 0.215 है0, प0न0 8/265(11) कि0न0 21, 22 की 0.506 है0 कुल तादादी 0.721 है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 01 की स्वअर्जित भूमि होना दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित है। अतः इस भूमि के संबंध में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि के संबन्ध में दिनांक 27.02.2020 को जारी एक पक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला वाद कन्फर्म किया जाता है तथा दफा 4 में वर्णित भूमि में अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त की जाती है। निर्णय प्रार्थना पत्र सरे इजलास अधिवक्ता उभय पक्ष की उपस्थिति में सुनाया गया। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

25/08/2022

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा